

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 958/2024**

**HIMANSHU TYAGI**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P.**

**.....RESPONDENT**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE No.</b>
1.	<b>COPY OF THE ORDER DT. 18.11.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/1</b>	
2.	<b>COPY OF THE ORDER DT. 13.09.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/2</b>	
3.	<b>COPIES OF THE DIRECTIONS DT. 26.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/3</b>	
4.	<b>COPY OF THE REPORT DT. 26.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/4</b>	
5	<b>COPY OF THE REPORT DT. 27.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/5</b>	
6.	<b>COPY OF THE REPORT ATTACHED AS ANNEXURE A/6</b>	

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

**DATE:** 07.01.2025

**PLACE:** NOIDA

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 958/2024**



**HIMANSHU TYAGI**

.....**APPLICANT**

**VERSUS**


**STATE OF U.P.**

.....**RESPONDENT**

**JOINT COMMITTEE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE,  
GHAZIABAD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 18.11.2024  
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI**

I, IndraVikram Singh, aged about 55 years, s/o Late Sunder Singh R/o H.No. - 01, Civil Line, P.S. Sadar Bazaar, Tehsil, Shahjhanpur, District- Shahjahanpur posted as District Magistrate, Ghaziabad, U.P. do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That I state that the contents of the Joint Committee report have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That I state that the captioned matter is pending before the Hon'ble Tribunal and was last listed on 18.11.2024. That as per the said order it



**07 JAN 2025**

was directed by the Hon'ble National Green Tribunal to submit the Joint Committee Report.

That the relevant portion of the order has been reproduced herein for ready reference:

*".....8. Sh. Bhanwar Pal Singh Jadon, learned counsel appearing for District Magistrate, Ghaziabad stated that Joint Committee require further time to verify remaining ponds and to submit a composite report as per direction of Tribunal. We find that ordinarily management of ponds is responsibility of District Administration and therefore, they must have current information about aspects on which Tribunal has required Joint Committee to submit report but it appears that there is some laxity in monitoring, therefore information is not available.*

*9. Be that as it may, we direct Joint Committee to submit its report in terms of directions given by Tribunal vide order dated 13.09.2024 by 06.01.2025.*

*10. List on 08.01.2025....."*

***A Copy of the Order dt. 18.11.2024 has been attached herein as Annexure A/1.***

4. That the present matter relates to the pond/Jauhar at Khasra No-712 in Village Sarna, Pargana Jalalabad, Nagar Pallika Parishad, Muradnagar, Ghaziabad. It is alleged that 10 new ponds have been encroached and directions have been sought by the Applicant for remediation of the ponds.
5. That Hon'ble Tribunal vide order dated 13.09.2024 constituted a joint committee comprising of the District Magistrate, Ghaziabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'), Divisional Forest Officer, Ghaziabad, Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB') and a representative of UP State Wetland Authority, Lucknow.



07 JAN 2025

*A Copy of the Order dt. 13.09.2024 has been attached herein as Annexure A/2.*

6. That a joint committee was constituted by the DM, Ghaziabad, comprising of various officials of district Ghaziabad and chaired by the Additional District Magistrate, Ghaziabad dated 14.10.2024 for the purposes of providing data related to ponds stretched in district Ghaziabad and the joint team constituted by Hon'ble National Green Tribunal.
7. That as per the interim report dated 14.11.2024, a total of 1,069 ponds, lakes, and other water bodies exist within the district. The total area covered with the water bodies is 506.362 hectares, out of which, 774 ponds are located in rural areas with a total area of 372.152 hectares, and 295 ponds are located in urban areas with a total area of 134.21 hectares. Based on the information provided by the Tehsils and Urban Bodies, a total of 381 ponds with an area of 182.899 hectares have been verified. Additionally, an area of 254.973 hectares, representing 504 ponds in rural areas, and an area of 68.49 hectares, representing 184 ponds in urban areas, are yet to be verified. That it is to be stated that the interim report has already been filed.
8. That as per the interim report, Joint Committee constituted by Hon'ble Tribunal conducted inspection of 13 ponds situated in Tehsil Modinagar, Ghaziabad on 05.11.2024 and 06.11.2024. That during the aforementioned inspection, the Joint Committee collected water samples from various ponds in Murad Nagar, Jalalpur, Bhoojpur, and Niwadi. That the Hon'ble National Green Tribunal further directed on 18.11.2024 to submit joint committee report with respect to the leftover ponds.

07 JAN 2025



9. That on 26.12.2024, District Magistrate, Ghaziabad issued directions to:

- Tehsildar, Loni
- Executive Officer, Municipal Council, Loni,
- Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad
- Tehsildar, Modinagar,
- Tehsildar, Ghaziabad
- Executive Officer, Nagar Panchayat, Niwadi
- Executive Officer, Municipal Council, Muradnagar
- Executive Officer, Modinagar

That it was henceforth directed to these officials to submit compliance reports. That the compliance reports must include the specific actions taken against encroachments, status of legal proceedings, if any, related to the identified ponds and steps initiated for the restoration and maintenance of the water bodies.

*Copies of the directions dt. 26.12.2024 has been attached herein as Annexure A/3.*

10. That in pursuance of the committee's mandate, a combined compliance report dt. 26.12.2024 was issued to the District Magistrate, Ghaziabad. That this report stated that committees were constituted at the tehsil and municipal levels to conduct verification of the status of all water bodies (ponds) within their respective jurisdictions. That the findings from these verifications have been compiled into detailed joint investigation reports submitted by the respective officials. That the joint investigation reports stated as follows:

07 JAN 2025



EB  
1219

- That the Sub-District Magistrate Ghaziabad, along with the Tehsildar and Executive Officers of relevant municipal bodies, conducted a joint investigation and submitted a report dated 24.12.2024. That the report specifies that Tehsil Ghaziabad contains 217 ponds with a total area of 110.9334 hectares, of which 29 ponds (9.4119 hectares) were found to be encroached. That temples, mosques, highways, and other structures have been constructed on 13 of these ponds. That action has been initiated under Section 67 of the relevant statute on 10 ponds, with further action pending on 16 ponds.
- That the Sub-District Magistrate Modinagar and associated officials submitted a report dt 21.12.2024 stating that Tehsil Modinagar contains 579 ponds spanning an area of 288.469280 hectares. That among these, 120 ponds (25.902480 hectares) were identified as encroached. That encroachments included temples, mosques, roads, power houses, railway lines, and cremation grounds on 25 ponds. That Section 67 action has been taken on 6 ponds, 9 cases are pending before the Sub-Divisional Magistrate Court, and one pond is subject to a stay order from the Hon'ble High Court.
- That the Sub-District Magistrate Loni, Tehsildar Loni, and other officials submitted a report dated 24.12.2024 indicating that Tehsil Loni has 139 ponds covering 57.576 hectares. That 38 ponds (7.323580 hectares) were found encroached, with structures such as temples, roads, power houses, and crematoriums. That action has been taken on 5 ponds under Section 67, FIRs have been

07 JAN 2025




lodged for 2 ponds, and 1 pond falls within Hindon Airport's boundary wall.

- That the General Manager (Water), Municipal Corporation, Ghaziabad, and the Additional Municipal Commissioner submitted a report dated 26.12.2024 for the municipal corporation's jurisdiction. That the report specifies 140 ponds with a total area of 69.80380 hectares, of which 44 ponds (14.404380 hectares) are encroached. That structures such as Idgahs, graveyards, metro stations, parks, and elevated road pillars exist on these ponds. That Section 67 actions have been initiated on 26 ponds, and legal proceedings are underway for 18 ponds.

*A Copy of the Report dt. 26.12.2024 has been attached herein as Annexure A/4.*

11. That as per consolidated data from all tehsils and municipal bodies, Ghaziabad district has a total of 1075 water bodies covering an area of 525.1862 hectares. That 231 ponds (57.04212 hectares) have been encroached upon, with temples, roads, power houses, metro stations, and other structures being constructed on 77 ponds. That in addition to the above, the Nodal Officer of the District Ground Water Management Council reported that 76 ponds have been developed through CSR initiatives, and work is in progress on 10 ponds.

12. That further on 27.12.2024, the District Magistrate, Ghaziabad directed the Regional Officer, Pollution Control Board, Ghaziabad, to ensure compliance with the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 13.09.2024 by preparing and filing the required report before the Hon'ble



07 JAN 2025

Tribunal considering the joint signed report of the constituted committee and including the updated status of ponds in the districts.

*A Copy of the directions dt. 27.12.2024 has been attached herein as Annexure A/5.*

13. That the Joint committee inspected 33 ponds situated in Tehsilloni and 08 ponds situated in Tehsil Modinagar. That the water samples were collected from these ponds according to information provided by District Administration Ghaziabad and observation made by Joint committee during the visit. That the Joint committee also collected water samples on dated 28.12.2024, 30.12.2024 and 31.12.2024 from certain randomly visited ponds and requested Regional Laboratories, U.P. Pollution Control Board for the analysis of samples thus collected.

*A Copy of the report has been attached herein as Annexure A/6.*

14. That, in the present matter the water bodies situated in entire District of Ghaziabad is about 1075, and requires conduct of thorough inspection and verification of the status of all the present water bodies in District. Therefore the joint committee is of the view that 6 months more time maybe allowed to complete the survey and take the necessary actions as required.

15. That, it is humbly submitted that surveying/physical verification of ponds by the joint committee is under progress and after completing the survey final report will be submitted by joint committee.

16. Hence, the present report is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

17. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

07 JAN 2025



  
DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at Ghaziabad on this 07 day of January, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

ATTESTED

(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 1186/S8  
NOTARY PUBLIC  
Ghaziabad (U.P.)



07 JAN 2025

Item No. 14

Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 958/2024

Himanshu Tyagi

Applicant

Versus

State of UP

Respondent(s)

Date of hearing: 18.11.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Applicant in Person

Respondents: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for DM and UPPCB.

**ORDER**

1. The Original Application has been registered under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of suo motu jurisdiction in view of the law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401***, on a letter petition dated 20.11.2022 received from Himanshu Tyagi, National Secretary, Association for Helping Hand Trust (Regd.), office No. 1, Sector 7, GDA Market, Rajnagar, Ghaziabad, UP.

2. The complainant has stated that there is a pond/jauhar at Khasra No. 712 in village Sarna, Pargana Jalalabaad, Nagar Palika Parishad Muradnagar. 10 new ponds have been encroached and despite complaints to the authorities concerned, no action has been taken for remediation as

result thereof, water bodies are being contaminated and their area has reduced which is causing damage to the environment.

3. Tribunal after being *prima facie* satisfied that a substantial question relating to environment has arisen out of implementation of enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010 proceeded *suo moto* and constituted a Joint Committee to obtain a factual report. Joint Committee comprising District Magistrate, Ghaziabad; Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'); Divisional Forest Officer, Ghaziabad; Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB) and a representative of UP State Wetland Authority, Lucknow.

4. Tribunal also observed that existence of water bodies and their maintenance of utmost importance for ecology and therefore it would be appropriate to find out the status of water bodies in the entire District of Ghaziabad instead of confining only for area of Nagar Palika Parishan Muradnagar. Hence, we proceed to consider the issue in respect of entire District of Ghaziabad.

5. Accordingly, Tribunal directed Joint Committee to submit report in respect to entire district of Ghaziabad. Committee was directed to verify status of ponds in various districts of Ghaziabad and submit status report with regard to its area; present status with regard to encroachment; water quality, etc and submit factual report within two months.

6. Pursuant thereto, an action taken report dated 15.11.2024 has been submitted by District Magistrate, Ghaziabad submitting an interim report dated 14.11.2024. It is said that a total of 1,069 ponds, lakes, and other water bodies exist within the district. The total area covered with the water bodies is 506.362 hectares, out of which, 774 ponds are located in rural

areas with a total area of 372.152 hectares, and 295 ponds are located in urban areas with a total area of 134.21 hectares. Based on the information provided by the Tehsils and Urban Bodies, a total of 381 ponds with an area of 182.899 hectares have been verified. Additionally, an area of 254.973 hectares, representing 504 ponds in rural areas, and an area of 68.49 hectares, representing 184 ponds in urban areas, are yet to be verified.

7. It is also said that Inspection of 13 ponds situated in Tehsil Modinagar, Ghaziabad was conducted on 05.11.2024 and 06.11.2024 and during inspection, Joint Committee collected water samples from ponds in Murad Nagar, Jalalpur, Bhoojpur, and Niwadi and analysed on various aspects like pH, Colour, etc. Report of said 13 ponds is on record on page 40 to 43 and we find that in none of the 13 ponds, water quality satisfy or meet the prescribed standards. Further, out of 13 ponds, 2 are admittedly encroached but there is nothing to show that any action has been taken for removal of encroachment or for improvement of water quality.

8. Sh. Bhanwar Pal Singh Jadon, learned counsel appearing for District Magistrate, Ghaziabad stated that Joint Committee require further time to verify remaining ponds and to submit a composite report as per direction of Tribunal. We find that ordinarily management of ponds is responsibility of District Administration and therefore, they must have current information about aspects on which Tribunal has required Joint Committee to submit report but it appears that there is some laxity in monitoring, therefore information is not available.

9. Be that as it may, we direct Joint Committee to submit its report in terms of directions given by Tribunal vide order dated 13.09.2024 by 06.01.2025.

10. List on 08.01.2025.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 18, 2024  
Original Application No. 958/2024  
AB

Item No. 03

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 958/2024

Himanshu Tyagi

Applicant

Versus

State of UP

Respondent

Date of hearing: 13.09.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

**ORDER**

1. The Original Application has been registered under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') in exercise of *suo motu* jurisdiction in view of the law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401***, on a letter petition dated 20.11.2022 received from Himanshu Tyagi, National Secretary, Association for Helping Hand Trust (Regd.), office No. 1, Sector 7, GDA Market, Rajnagar, Ghaziabad, UP.

2. The complainant has stated that there is a pond/jauhar at Khasra No. 712 in village Sarna, Pargana Jalalabaad, Nagar Palika Parishad Muradnagar. 10 new ponds have been encroached and despite complaints to the authorities concerned, no action has been taken for remediation as result thereof, water bodies are being contaminated and their area has reduced which is causing damage to the environment.

3. Complaint made in the letter petition, in our view, *prima facie* give rise to a substantial question relating to environment arising out of implementation of Enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010. However, before proceeding further in the matter, we find it

appropriate to obtain a factual report, and constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Ghaziabad; Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'); Divisional Forest Officer, Ghaziabad; Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB') and a representative of UP State Wetland Authority, Lucknow.

4. District Magistrate, Ghaziabad shall be nodal authority for coordination and compliance of this order.

5. We also find that existence of water bodies and their maintenance of utmost importance for ecology and therefore it would be appropriate to find out the status of water bodies in the entire District of Ghaziabad instead of confining only for area of Nagar Palika Parishan Muradnagar. Hence, we proceed to consider the issue in respect of entire District of Ghaziabad.

6. The said Committee shall verify the status of ponds in various Tehsils of District Ghaziabad and submit a status report with regard to the area; its present status with regard to encroachment; water quality etc. and file a factual Report within two months.

7. List on 18.11.2024.

8. A copy of this order along with complaint be sent to District Magistrate, Ghaziabad; UPPCB; Divisional Forest Officer, Ghaziabad; CPCB; and UP State Wetland Authority, Lucknow for necessary action.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September 13, 2024  
O.A. No. 958/2024  
A

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1045/सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26.12.24

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, निवाडी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मोदीनगर कार्यालय के पत्र संख्या 1936/र0का0-मोदीनगर/2024 दिनांक 21.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जांच आख्या के माध्यम से तहसील मोदीनगर में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 579 (कुल क्षेत्रफल 288.4692हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 87 (क्षेत्रफल 48.6766हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 492 (क्षेत्रफल 239.7926हे0) है। जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल 120 तालाबों (क्षेत्रफल 25.9024हे0) में 25 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाईवे आदि बने है। अतिक्रमित तालाबों में से 06 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद विचाराधीन है व 01 तालाब पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 79 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 15 तालाबों पर नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। उपजिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या में 79 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 02 तालाब नगर पंचायत निवाडी क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नगर पंचायत निवाडी क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 02 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

गाजियाबाद

कार्यालय  
पत्रांक: 1054 / सात-डीएलआरसी-2024

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

दिनांक: 26-12-2024

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, मुरादनगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मोदीनगर कार्यालय के पत्र संख्या 1936/र0का0-मोदीनगर/2024 दिनांक 21.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जंच आख्या के माध्यम से तहसील मोदीनगर में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 579 (कुल क्षेत्रफल 288.4692हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 87 (क्षेत्रफल 48.6766हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 492 (क्षेत्रफल 239.7926हे0) है। जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल 120 तालाबों (क्षेत्रफल 25.9024हे0) में 25 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाईवे आदि बने है। अतिक्रमित तालाबों में से 06 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद विचाराधीन है व 01 तालाब पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 79 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 15 तालाबों पर नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। उपजिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा प्रेषित संयुक्त जंच आख्या में 79 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 02 तालाब नगर पालिका परिषद मुरादनगर क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नगर पालिका परिषद मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 02 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

  
(इन्दु विक्रम सिंह)

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद।

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,

गाजियाबाद।

१/८

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1050 /सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26/12/24

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मोदीनगर कार्यालय के पत्र संख्या 1936/र0का0-मोदीनगर/2024 दिनांक 21.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जांच आख्या के माध्यम से तहसील मोदीनगर में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 579 (कुल क्षेत्रफल 288.4692हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 87 (क्षेत्रफल 48.6766हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 492 (क्षेत्रफल 239.7926हे0) है। जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल 120 तालाबों (क्षेत्रफल 25.9024हे0) में 25 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाईवे आदि बने है। अतिक्रमित तालाबों में से 06 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद विचाराधीन है व 01 तालाब पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 79 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 15 तालाबों पर नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। उपजिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या में 79 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 02 तालाब नगर पालिका परिषद मोदीनगर क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नगर पालिका परिषद मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 02 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

(इन्द्र विक्रम सिंह)

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

१८

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1048 /सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26.12.2024

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, लोनी।


विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी लोनी कार्यालय के पत्र संख्या 930/र0का0/2024 दिनांक 24.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जांच आख्या के माध्यम से तहसील लोनी में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 139 (कुल क्षेत्रफल 57.5760हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 66 (क्षेत्रफल 23.8270हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 73 (क्षेत्रफल 33.7490हे0) है जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल तालाबों की संख्या 38 (क्षेत्रफल 7.3235हे0) है जिसमें 14 तालाबों पर मन्दिर, रास्ता, बिजलीघर, शमशान, बाल मरघट, आदि बने है। अतिक्रमित कुल 38 तालाबों में से 05 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यावाही की गयी है, 02 तालाबों पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है एवं 01 तालाब हिण्डन हवाई अड्डे की चारदीवारी के अन्दर है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 01 तालाब पर नगर पालिका द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।


अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। उपजिलाधिकारी लोनी द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या में 16 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 11 तालाब नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 11 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1053 /सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26-12-2024

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, गाजियाबाद


विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम गाजियाबाद एवं अपर नगर आयुक्त/सम्पत्ति प्रभारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा संयुक्त जांच/सत्यापन कराते हुए संयुक्त जांच आख्या पत्रांक /एसटी-जी0एम0/2024-25 दिनांक 25.12.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत तालाबों की कुल संख्या 140 क्षेत्रफल 69.803हे0 है। जिसमें अतिक्रमित कुल तालाबों की संख्या 44 क्षेत्रफल 14.4043हे0 है। अतिक्रमित 44 तालाबों में से 26 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है व तालाबों पर व 18 पर विधिक कार्यवाही की जा रही है एवं 35 तालाबों में से 01 ईदगाह, 01 कब्रिस्तान, 12 जीडीए, 02 आवास विकास, 01 मैट्रो स्टेशन, 01 रैपिड मैट्रो स्टेशन, 12 गाजियाबाद नगर निगम पार्क, रोड ट्यूबवैल व टंकी, 01 मन्दिर, 01 ऐलीवेटिड रोड पिलर व पुलिस रोड, 01 हिण्डन शमशान घाट की पार्किंग, 01 छठ घाट एवं 01 वेबसिटी का रास्ता आदि बने हुये है, तथा 61 तालाब कब्जा मुक्त है एवं साफ सफाई की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 03 तालाबों पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।


अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। मैं महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम गाजियाबाद एवं अपर नगर आयुक्त/सम्पत्ति प्रभारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या में 18 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 18 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कराते हुए आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

प्रतिलिपि- जी.एम. जलकल, नगर निगम गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 104 / सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26.12.2024

तहसीलदार,  
लोनी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या 930 र0आ0 2024 दिनांक 24.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जांच आख्या के माध्यम से तहसील लोनी में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 139 (कुल क्षेत्रफल 57.5760हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 66 (क्षेत्रफल 23.8270हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 73 (क्षेत्रफल 33.7490हे0) है। जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल तालाबों की संख्या 38 (क्षेत्रफल 7.3235हे0) है जिसमें 14 तालाबों पर मन्दिर, रास्ता, बिजलीघर, शमशान, बाल मरघट, आदि बने है। अतिक्रमित कुल 38 तालाबों में से 05 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, 02 तालाबों पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है एवं 01 तालाब हिण्डन हवाई अड्डे की चारदीवारी के अन्दर है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 01 तालाब पर नगर पालिका द्वारा सौन्दर्योकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। आपके द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या में 16 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 05 तालाब तहसील लोनी के ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तहसील लोनी के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 05 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

(इन्द्र विक्रम सिंह)

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद

प्रतिलिपि- उप जिलाधिकारी लोनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1047 / सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26.12.2024

तहसीलदार,  
गाजियाबाद।

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2800/र0का0-गा0बाद/2024 दिनांक 24.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त जांच आख्या के माध्यम से तहसील गाजियाबाद में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं उनपर अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि तहसील गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 217 (कुल क्षेत्रफल 109.3380हे०), है। जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल तालाबों की संख्या 29 (क्षेत्रफल 9.4119हे०) है, जिसमें 03 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, हाई-वे आदि बने है। अतिक्रमित कुल 29 तालाबों में से 10 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही गयी एवं शेष 16 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।


अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। आपकी आख्या में 16 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई ठोस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जोकि तहसील गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तहसील गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 16 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक:-** उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि- उप जिलधिकारी गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1936/2024-सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26.12.2024

तहसीलदार,

मोदीनगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या ।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालनके सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1936/2024-मोदीनगर/2024 दिनांक 21.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा तहसील मोदीनगर में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 579 (कुल क्षेत्रफल 288.4692हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 87 (क्षेत्रफल 48.6766हे0), ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 492 (क्षेत्रफल 239.7926हे0) है जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल 120 तालाबों (क्षेत्रफल 25.9024हे0) में 25 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाईवे आदि बने हैं। अतिक्रमित तालाबों में से 06 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद विचाराधीन है व 01 तालाब पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 79 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 15 तालाबों पर नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अवगत करना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। आपकी आख्या में 79 जल निकायों (तालाबों) के सम्बन्ध में कोई टांस आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जिसमें से 73 तालाब ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत शेष अतिक्रमित 73 जल निकायों (तालाबों) पर अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तालाबों की सूची ।

(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि- उप जिलाधिकारी मोदीनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद

पत्रांक: 1042/सात-डीएलआरसी-2024

दिनांक: 26-12-2024

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या 1669/एन0जी0टी0-233/ओ0ए0 नं0 958/2024 दिनांक 14.10.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सत्यापन हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:-

क्र0स0	पदनाम एवं विभाग	समिति में धारित पद
1	अपर जिलाधिकारी (प्रशा0), गाजियाबाद	अध्यक्ष
2	उपजिलाधिकारी लोनी/सदर/मोदीनगर गाजियाबाद	सदस्य
3	महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, गाजियाबाद	सदस्य
4	नोडल अधिकारी, जल भू-गर्भ जल प्रबन्धक परिषद, गाजियाबाद	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, लोनी /मोदीनगर /मुरादनगर /खोड़ा /पतला/ निवाडी/ डासना/ फरीदनगर, गाजियाबाद	सदस्य

जनपद गाजियाबाद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि के सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा समस्त तहसीलों व नगर निकायों में टीम बनाकर सत्यापन कराया गया। सत्यापनोपरान्त उपजिलाधिकारी गाजियाबाद, तहसीलदार गाजियाबाद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डासना, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर द्वारा संयुक्त जांच/सत्यापन करते हुए संयुक्त जांच आख्या पत्रांक 2800/र0का0-गा0बाद/2024 दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील गाजियाबाद में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं उनपर अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि तहसील गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 217 (कुल क्षेत्रफल 109.3380हे0) है, जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल तालाबों की संख्या 29 (क्षेत्रफल 9.4119हे0) है, जिसमें 03 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, हाई-वे आदि बने है। अतिक्रमित कुल 29 तालाबों में से 10 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही गयी एवं शेष 16 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।



67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है व 18 तालाबों पर विधिक कार्यवाही की जा रही है एवं 35 तालाबों में से 01 ईदगाह, 01 कब्रिस्तान, 12 जीडीए, 02 आवास विकास, 01 मैट्रो स्टेशन, 01 रैपिड मैट्रो स्टेशन, 12 गाजियाबाद नगर निगम पार्क, रोड ट्यूबवैल व टंकी, 01 मन्दिर, 01 ऐलीवेटेड रोड पिलर व पुलिस रोड, 01 हिण्डन शमशान घाट की पार्किंग, 01 छठ घाट एवं 01 वेबसिटी का रास्ता आदि बने हुये है, तथा 61 तालाब कब्जा मुक्त है एवं साफ सफाई की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 03 तालाबों पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद में CSR एवं अन्य मदों के माध्यम से विकसित कराये गये तालाबों/अमृत सरोवर का विवरण नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 317/भू0ज0वि0/एक्ट (एन0ओ0सी0) उपलब्ध कराया गया है। निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध आख्यानुसार विकास खण्ड मुरादनगर में कुल 48 खसरा नम्बरान पर कुल 16 तालाब, विकासखण्ड भोजपुर में कुल 49 खसरा नम्बरान पर कुल 25 तालाब, विकासखण्ड रजापुर में कुल 45 खसरा नम्बरान पर कुल 31 तालाब, विकास खण्ड में कुल 06 खसरा नम्बरान पर 04 तालाब अर्थात जनपद गाजियाबाद के कुल 148 खसरा नम्बरानों पर कुल 76 जल निकायों (तालाबों) को CSR एवं अन्य मदों के माध्यम से विकसित कराये एवं कुल 17 खसरा नम्बरान पर 10 जल निकायो (तालाबों) पर कार्य प्रगति पर है।

तहसील सदर, मोदीनगर, लोनी, समस्त नगर निकायों, नगर निगम एवं नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की आख्याओं को समेकित करते हुए तथ्यात्मक आख्या निम्नवत है:-

### 1. तालाब/ जल निकायों पर अतिक्रमण आदि के सत्यापन का विवरण:-

जनपद गाजियाबाद में समस्त जल निकायों (तालाबों) की कुल संख्या 1075 क्षेत्रफल 525.1862 हे० है, जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 293 क्षेत्रफल 142.3066 हे० तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 782 क्षेत्रफल 382.8776 हे० है (प्रारूप के कॉलम संख्या 05 व 06 के अनुसार)। जनपद में कुल अतिक्रमित पाये गये तालाबों की संख्या 231 क्षेत्रफल 57.0421 हे० है (प्रारूप के कॉलम संख्या 07 के अनुसार)। जिसमें 77 तालाबों पर मन्दिर, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाई-वे, ट्यूबवैल टंकी, मैट्रो स्टेशन, ईदगाह, रैपिड मैट्रो स्टेशन, ऐलीवेटेड रोड, छठ घाट, आदि निर्मित है।

### 2. अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु की गयी कार्यवाही


अतिक्रमित 47 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है; 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी मोदीनगर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 02 तालाबों पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, 01 तालाब पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है तथा 01 तालाब हिण्डन हवाई अड्डे की चारदीवारी के अन्दर है (आख्या के कॉलम संख्या 03 के अनुसार)। शेष 129 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमित जल निकायों (तालाबों) से अवैध कब्जा हटाये जाने/अतिक्रमित मुक्त किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त यह



उपजिलाधिकारी मोदीनगर, तहसीलदार मोदीनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निवाडी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पतला द्वारा संयुक्त जांच/सत्यापन करते हुए संयुक्त जांच आख्या पत्रांक 1936/र0का0-मोदीनगर/2024 दिनांक 21.12.2024 द्वारा अवगत कराया है कि तहसील मोदीनगर में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 579 (कुल क्षेत्रफल 288.4692हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 87 (क्षेत्रफल 48.6766हे0) तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 492 (क्षेत्रफल 239.7926हे0) है, जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल 120 तालाबों (क्षेत्रफल 25.9024हे0) में 25 तालाबों पर मन्दिर, मस्जिद, रास्ता, बिजलीघर, रेलवे लाईन, शमशान, बाल मरघट, हाईवे आदि बने है। अतिक्रमित तालाबों में से 06 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व 09 तालाबों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद विचाराधीन है व 01 तालाब पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 79 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेत्तर कार्यावही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 15 तालाबों पर नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी लोनी, तहसीलदार लोनी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा संयुक्त जांच/ सत्यापन कराते हुए संयुक्त जांच आख्या पत्रांक 930/र0का0 /2024-25 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अवगत कराया है कि तहसील लोनी में आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 139 (कुल क्षेत्रफल 57.5760हे0), जिसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 66 (क्षेत्रफल 23.8270हे0) तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल तालाबों की संख्या 73 (क्षेत्रफल 33.7490हे0) है, जिसमें अतिक्रमित पाये गये कुल तालाबों की संख्या 38 (क्षेत्रफल 7.3235हे0) है जिसमें 14 तालाबों पर मन्दिर, रास्ता, बिजलीघर, शमशान, बाल मरघट, आदि बने है। अतिक्रमित कुल 38 तालाबों में से 05 तालाबों पर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यावाही की गयी है, 02 तालाबों पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है एवं 01 तालाब हिण्डन हवाई अड्डे की चारदीवारी के अन्दर है। शेष 16 अतिक्रमित तालाबों में अग्रेत्तर कार्यावाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि कुल 01 तालाब पर नगर पालिका द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

इसी प्रकार महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम गाजियाबाद एवं अपर नगर आयुक्त/सम्पत्ति प्रभारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा संयुक्त जांच/ सत्यापन कराते हुए संयुक्त जांच आख्या पत्रांक 913/एसटी-जी0एम0/2024-25 दिनांक 26.12.2024 द्वारा अवगत कराया है कि नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जल निकायों (तालाबों) एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही आदि की आख्या/सूचना प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की गयी है, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत तालाबों की कुल संख्या 140 क्षेत्रफल 69.803हे0 है। जिसमें अतिक्रमित कुल तालाबों की संख्या 44 क्षेत्रफल 14.4043हे0 है। अतिक्रमित 44 तालाबों में से 26 तालाबों पर धारा





भी स्पष्ट करना है कि नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा कुल 16 तालाब पर पुनस्थापना एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

**3. CSR एवं अन्य मदों के माध्यम से विकसित /जीर्णोद्धार कराये गये तालाबों/अमृत सरोवर का विवरण:-**

जनपद गाजियाबाद के कुल 148 खसरा नम्बरानों पर कुल 76 जल निकायों (तालाबों) को CSR एवं अन्य मदों के माध्यम से विकसित कराये जा चुके हैं एवं कुल 17 खसरा नम्बरान पर 10 जल निकायों (तालाबों) पर कार्य प्रगति पर है।

अतः समिति की जांच आख्या समस्त संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

- संलग्नक:-
1. तहसील गाजियाबाद की संयुक्त जांच/सत्यापन आख्या (कुल पृष्ठ संख्या 74)
  2. तहसील मोदीनगर की संयुक्त जांच/सत्यापन आख्या (कुल पृष्ठ संख्या 195)
  3. तहसील लोनी की संयुक्त जांच/सत्यापन आख्या (कुल पृष्ठ संख्या 38)
  4. नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की आख्या (कुल पृष्ठ संख्या 37)
  5. नगर निगम गाजियाबाद की आख्या (कुल पृष्ठ संख्या 33)

 अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी	 अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर	 अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुरादनगर	 अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर
 अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत डासना	 अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर	 अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत पतला	 अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत निवाडी
 नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद	 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद	 उपजिलाधिकारी लोनी	 उपजिलाधिकारी मोदीनगर
 महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, गाजियाबाद	 अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) गाजियाबाद		



कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

पत्रांक 1051 / सात-डी0एल0आर0सी0 / 2024

दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024


क्षेत्रीय अधिकारी,  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गाजियाबाद।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-958/2024 हिमांशु त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आदेश दिनांक 13.09.2024 का अनुपालन कराये जाने तथा जनपद के समस्त जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति यथा अतिक्रमण आदि का सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति गठित की गयी थी। गठित समिति द्वारा पत्रांक 1042/सात-डी0एल0आर0सी0/2024 दिनांक 26.12.2024 द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या जनपद में स्थित जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति की सूची मय जी0पी0एस0 फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर सर्व सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये है।

अतः उपरोक्त गठित समिति की संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या जनपद में स्थित जल निकायों (तालाबों) की अद्यतन स्थिति की सूची मय जी0पी0एस0 फोटोग्राफ व सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को प्रेषित किये गये पत्रों की प्रति आदि संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में उत्तर तैयार कराकर दाखिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी.

**Joint committee report in compliance to Hon'ble National Green Tribunal New Delhi Order dated 18.11.2024 in OA No 958/2024 in the matter of Himanshu Tyagi versus State of U.P.**


**Most respectfully showeth:**

1. That, the present original application relates to the pond/jauhar at Khasra No 712 in Village Sarna, Pargana Jalalabad Nagar Palika Parisad Muradnagar, Ghaziabad. Further It is alleged 10 New ponds have been encroached and directions have been sought by the applicant for remediation of the ponds.
2. That, Hon'ble Tribunal vide order dated 13.09.2024 constitute a joint committee comprising District Magistrate Ghaziabad, UPPCB, CPCB and a representative of U.P. State Wetland Authority Lucknow to verify the status of ponds in various Tehsil of District Ghaziabad and to submit a status report with regard to the area, its Present Status with regard to encroachment, water quality etc.
3. That, in pursuant to above joint committee conducted inspection of 13 ponds situated in Tehsil Modi Nagar Ghaziabad and The report of joint committee was filed before Hon'ble Tribunal.
4. That, the matter was taken on 18.11.2024 for hearing and vide order dated 18.11.2024, Hon'ble Tribunal was pleased to pass following directions, the relevant extract of which is reproduced below:-

*“.....8. Sh. Bhanwar Pal Singh Jadon, learned counsel appearing for District Magistrate, Ghaziabad stated that Joint Committee require further time to verify remaining ponds and to submit a composite report as per direction of Tribunal. We find that ordinarily management of ponds is responsibility of District Administration and therefore, they must have current information about aspects on which Tribunal has required Joint Committee to submit report but it appears that there is some laxity in monitoring, therefore information is not available.*

*9. Be that as it may, we direct Joint Committee to submit its report in terms of directions given by Tribunal vide order dated 13.09.2024 by 06.01.2025.*

*10. List on 08.01.2025.....”*


5. That, it is submitted that with regard to number of ponds/lake/water bodies situated in District Ghaziabad, have been identified by District Administration Ghaziabad, and as per report dated. 14.11.2024 the status with regards to ponds, Lake and other water bodies existing in entire District of Ghaziabad is Tabulated below:-







Sr. No	Name of Tehsil	Number of ponds and area situated in rural Area		Number of ponds and area situated in Urban Area		Total number of ponds and area	
		Number	Area (hectares)	Number	Area (in hectares)	Number	Area (in hectares)
1	Sadar	211	99.660	139	60.431	350	160.091
2	Modinagar	492	239.792	88	48.903	580	288.695
3	Loni	71	32.700	68	24.876	139	57.576
Total		774	372.152	295	134.21	1069	506.382

The copy of said report dated 14.11.2024 is attached here with as **Annexure-1**

6. That, a status of ponds have been provided by District Administration Ghaziabad which is enclosed as **Annexure-2**. According to the said report status of ponds with respect to encroachment is tabulated below:-

Sl. No.	Name of Tehsil	Number of ponds	Number of ponds encroached
1.	Sadar	350	73
2.	Modinagar	580	120
3.	Loni	139	38
<b>Total</b>		<b>1069</b>	<b>231</b>





7. That, District Magistrate Ghaziabad vide order dated 26.12.224 has issued direction to concerned officials to take action on the matter of encroachment of ponds.
8. That, in compliance of order dated 28.11.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi, Joint committee conducted inspection of 33, ponds situated in Tehsil Loni and 08 ponds situated in Tehsil Modinagar and collected water samples from-ponds. According to information provided by District Administration Ghaziabad and observation made by Joint committee during visit, the status has been tabulated in the table below:-

Sr. No.	Location of Pond	Khasra No.	Area (In Hec.)	Existing Area (In Hec.)	Encroachment (Yes/No)	Current Status of Pond	Photographs
1)	Banthala Pond	204	0.923	0.8920	Yes (0.31ha)	Water Filled	
2)	Jawali Pond	857	0.051	0.051	No	Water Filled	
3)	Nistoli Pond	813	0.126	0.126	No	Water Filled	
4)	Sadullahbad Pond	502	0.771	0.771	No	Water filled	
5)	Banthala, Near Railway Line, Pond	196 Kha	0.531	0.531	No	Water Filled	
6)	Baghranap Rani Pond	1579/18	2.236	2.236	No	Water Filled	
7)	Gadi sablu ka Talab	1427	0.076	-	Yes (Partially)	Water Filled	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







*Handwritten signature in a box*

8)	Sikhrani Mandir Pond	90	0.948	0.4420	Yes (0.506ha)	Habitat ons	
9)	Sarfuddinpur Jawali Pond	858	0.038	0.038	No	Water Filled	
10)	Sarfuddinpur Jawali Pond	859	0.038	0.038	No	Water Filled	
11)	Sarfuddinpur Jawali Pond	860	0.038	0.038	No	Water Filled	
12)	Sarfuddinpur Jawali Pond	863	0.038	0.038	No	Water filled	
13)	Sarfuddinpur Jawali Pond	864	0.038	0.038	No	Water filled	
14)	Dabar Talab	1411	4.161	4.161	No	Water filled	

*Santosh*

*[Signature]*







*[Signature]*

15)	Nishant Colony Pond	606	0.114	0.114	No	Water filled	
16)	Vikash Nagar Pond	605	0.190	0.055	Yes (0.135ha)	Water filled	
17)	Pavi Ghoda Gate, Sadakpur, Pond	666	0.158	0.158	No	Water filled	
18)	Pavi Sadakpur, Pond	880	0.848	0.8320	Yes (0.016ha)	Water filled	
19)	Gauri Patti Talab	2041	0.405	0.405	No	Water filled	
20)	Ashok Vihar Talab	2324	1.556	1.556	No	Water filled	
21)	Agrola Talab	185	0.620	0.620	No	Water filled	
22)	Agrola Near Shamshan Ghat	462	0.316	0.316	No	Water filled	
23)	Haqiqat pur Khundabas Pond	117	0.370	0.370	No	Water filled	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*








*Handwritten signature*

24)	Sarfuddinpur Jawali Pond	867	0.038	0	Yes (0.038ha)	Partially Water filled	
25)	Sarfuddinpur Jawali Pond	868	0.038	0	Yes (0.038ha)	Partially Water filled	
26)	Sarfuddinpur Jawali Pond	866	0.038	0	Yes (0.038ha)	Partially Water filled	
27)	Sarfuddinpur Jawali Pond	877	0.152	0.152	No	Water filled	
28)	Sarfuddinpur Jawali Pond	874	0.101	0.101	No	Water filled	
29)	Sarfuddinpur Jawali Pond	875	0.101	0.101	No	Water filled	
30)	Sarfuddinpur Jawali Pond	872	0.510	0.510	No	Water filled	

*Antosh*

*Jimmy*

*Indresh Kumar*

31)	Sarfuddinpur Jawali Pond	871	0.510	0.510	No	Water filled	
32)	Sarfuddinpur Jawali Pond	878	0.190	0.190	No	Water filled	
33)	Sarfuddinpur Jawali Pond	868	0.038	-	Yes (0.038ha)	Partially Water filled	
34)	Sarfuddinpur Jawali Pond	865	0.025	0.025	No	Water filled	
35)	Sarfuddinpur Jawali Pond	870	0.276	0.2628	Yes(0.0132 ha)	Partially Water filled	
36)	Sarfuddinpur Jawali Pond	873	0.076	0.076	No	Water filled	
37)	Sarfuddinpur Jawali Pond	876	0.139	0.139	No	Water filled	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature in a box*

38)	Sarfuddinpur Jawali Pond	879	0.126	0.126	No	Water filled	
39)	Sarfuddinpur Jawali Pond	880	0.177	0.1670	Yes (0.010ha)	Water filled	
40)	Sarfuddinpur Jawali Pond	881	0.063	0.0430	Yes (0.020)	Water filled	
41)	Sarfuddinpur Jawali Pond	882	0.164	0.164	No	Water filled	

**B-**The Joint committee also collected water samples on dated 28.12.2024, 30.12.2024 and 31.12.2024 from these randomly visited ponds and requested Regional Laboratories, U.P. Pollution Control Board for the analysis of samples thus collected. The analysis results have been tabulated in below: -

S.no	Sampling Point	Khasra No.	Area Hect.	pH	Color	B.O.D mg/l	C.O.D mg/l	T.S.S (mg/L)
1.	Banthala Pond	204	0.923	7.06	Turbid	36.0	120.0	38.0
2.	Jawali Pond	857	0.051	7.40	Turbid	42.0	126.0	45.0
3.	Nistoli Pond	813	0.126	7.58	Turbid	28.0	132.0	32.0
4.	Sadullahbad Pond	502	0.771	7.05	Turbid	34.0	136.0	40.0
5.	Banthala, Near Railway Line, Pond	196 Kha	0.531	7.25	Turbid	26.0	112.0	3.0
6.	Baghranap Rani Pond	1579/18	2.236	7.82	Turbid	34.0	144.0	34.0
7.	Gadisabluka Talab	1427	0.076	7.39	Turbid	32.0	118.0	44.0
8.	Sikhrani Mandir Pond	90	0.948	7.41	Turbid	44.0	166.0	72.0

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature in a box*

9.	SarfuddinpurJawali Pond	858	0.038	7.62	Turbid	46.0	178.0	92.0
10	SarfuddinpurJawali Pond	859	0.038	7.48	Turbid	38.0	142.0	82.0
11	SarfuddinpurJawali Pond	860	0.038	7.54	Turbid	42.0	180.0	104.0
12	SarfuddinpurJawali Pond	863	0.038	7.68	Turbid	24.0	154.0	86.0
13	SarfuddinpurJawali Pond	864	0.038	7.39	Turbid	36.0	164.0	98.0
14	DabarTalab	1411	4.161	6.90	Turbid	32.0	128.0	45.0
15	Nishant Colony Pond	606	0.114	7.10	Turbid	30.0	104.0	42.0
16	Vikash Nagar Pond	605	0.190	7.28	Turbid	46.0	122.0	80.0
17	PaviGhoda Gate, Sadakpur, Pond	666	0.158	7.59	Turbid	34.0	166.0	92.0
18	PaviSadakpur, Pond	880	0.848	7.22	Turbid	32.0	120.0	86.0
19	Gauri Patti Talab	2041	0.405	7.91	Turbid	44.0	158.0	108.0
20	Ashok ViharTalab	2324	1.556	7.34	Turbid	24.0	118.0	78.0
21	AgrolaTalab	185	0.620	7.51	Turbid	38.0	135.0	75.0
22	Agrola Near ShamshanGhat	462	0.316	7.39	Turbid	26.0	148.0	86.0
23	HaqiqatpurKhundabas Pond	117	0.370	7.75	Turbid	48.0	162.0	120.0
24	SarfuddinpurJawali Pond	867	0.038	7.32	Turbid	21.0	174.0	62.0
25	SarfuddinpurJawali Pond	868	0.038	7.28	Turbid	32.0	180.0	92.0
26	SarfuddinpurJawali Pond	866	0.038	7.57	Turbid	52.0	196.0	125.0
27	SarfuddinpurJawali Pond	877	0.152	7.69	Turbid	45.0	194.0	128.0
28	SarfuddinpurJawali Pond	874	0.101	7.42	Turbid	32.0	144.0	79.0
29	SarfuddinpurJawali Pond	875	0.101	7.51	Turbid	30.0	145.0	112.0
30	SarfuddinpurJawali Pond	872	0.510	7.45	Turbid	46.0	172.0	132.0
31	SarfuddinpurJawali Pond	871	0.510	7.36	Turbid	50.0	162.0	145.0
31	SarfuddinpurJawali Pond	878	0.190	7.35	Turbid	34.0	146.0	118.0
33	SarfuddinpurJawali Pond	868	0.038	7.42	Turbid	44.0	156.0	124.0
34	SarfuddinpurJawali Pond	865	0.025	7.28	Turbid	28.0	138.0	118.0
35	SarfuddinpurJawali Pond	870	0.276	7.55	Turbid	37.0	156.0	98.0
36	SarfuddinpurJawali Pond	873	0.076	7.42	Turbid	26.0	144.0	87.0

*Antosh*

*[Signature]*

*[Signature]*

37	SarfuddinpurJawali Pond	876	0.139	7.38	Turbid	48.0	182.0	145.0
38	SarfuddinpurJawali Pond	879	0.126	7.44	Turbid	35.0	176.0	116.0
39	SarfuddinpurJawali Pond	880	0.177	7.64	Turbid	30.0	145.0	110.0
40	SarfuddinpurJawali Pond	881	0.063	7.50	Turbid	44.0	165.0	135.0
41	SarfuddinpurJawali Pond	882	0.164	7.42	Turbid	56.0	198.0	128.0

**Remarks: The characteristics of water in the ponds are of domestic waste water and may be attributed to influent from local area.**

9. That, in the present matter the water bodies situated in entire District of Ghaziabad is about 1075, and requires conduct of thorough inspection and verification of the status of all the present water bodies in District. Therefore, The Joint Committee is of the view that six months more time maybe allowed to complete the survey as the matter is much detailed.
10. That, it is humbly submitted that surveying/ physical verification of ponds by the joint committee is under progress an after completing the survey final report will be submitted by joint committee.


Therefore, the above compliance report is submitted before this tribunal for kind consideration and further necessary action as the tribunal.



(Kunwar Santosh Kumar)  
Assistant Environmental Engineer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Ghaziabad.



(Ankur Tiwary)  
Sc.-E, Project office, Central  
Pollution Control Board,  
Agra.



(Shashank Gupta)  
Forest Range Officer,  
Ghaziabad.